

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08.10.2026	आदेश निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या 2371 दिनांक 15.07.2026 के विरुद्ध श्री गौतम कुमार (Emp. ID No.- AEN13567), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम-8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपील दायर किया गया है। निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी। उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :- अपीलार्थी श्री कुमार द्वारा वर्ष 2024 में सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट, मध्यप्रदेश से निर्गत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष सर्वेक्षण अमीन (संविदा) के पद पर नियोजन प्राप्त किया गया था। निदेशालय पत्रांक 348 दिनांक 02.02.2026 के माध्यम से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय से कराया गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्रांक SPU/EXAM/FEB/2026/05 दिनांक 20.02.2026 द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को Not Verify किया गया। प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर निदेशालय पत्रांक 1852 दिनांक 04.06.2026 द्वारा दिया गया, परन्तु इनके द्वारा निर्धारित अवधि तक प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया। फलतः विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के आधार पर निदेशालय द्वारा इनका संविदा समाप्त किया गया है। अपील सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी से निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के सत्यापन के संबंध में पृच्छा की गयी। किंतु अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। साथ ही अपीलार्थी का कथन है कि उन्होंने संबंधित विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है तथा उनका शैक्षणिक प्रमाण-पत्र वास्तविक एवं वैध है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि इनका डिग्री वास्तविक एवं वैध है। फिर भी इनके कथन की पुष्टि के लिए इनसे उक्त विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययन के संबंध में पृच्छा की गयी, परन्तु इनके द्वारा इस संबंध में भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन पर पुनर्विचार किया जा सके।	

उपर्युक्त तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों, विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पक्ष के सम्यक विवेचनोपरांत मूल आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्थापित नहीं होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील को अस्वीकृत किया जाता है तथा मूल आदेश को यथावत रखा जाता है।

सचिव
—सह—
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-07/2026.....3690

पटना, दिनांक 26/10/26

प्रतिलिपि :- श्री गौतम कुमार (Emp. ID No.-AEN13567), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
—सह—

अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-07/2026.....3690

पटना, दिनांक 26/10/26

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

—सह—

अपीलीय प्राधिकार